

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 21/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गणकी पत्नी गोबरराम		1. माधुराम पुत्र गोबरराम जाति कुम्हार
2. दिनेश कुमार		निवासी बुटेलाव तह0 सोजत जिला
3. रामेश		पाली राजस्थान।
4. राकेश पिसरान गोबरराम		2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला
5. पारसमल		पाली राजस्थान
6. मोहनलाल पिसरान कालूराम जातिगण		
कुम्हार निवासीगण बुटेलाव तहसील		
सोजत जिला पाली राज0		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-

1. श्री गजेन्द्र दवे, श्री भगवती प्रसाद अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।
2. श्री कैलाश दवे, श्री धमेन्द्र कुमार अधिवक्तागण प्रतिवादी उपस्थित।
3. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक - 15/01/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बुटेलाव, पटवार हल्का मेव, भू0अ0नि0 क्षेत्र खारीया नींव तहसील सोजत के खसरा नम्बर 344, 345, 358, 621, 627 कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.1700 हैक्टर किस्म बा0अ0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में दिनांक 01.05.2024 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व/2024/1680 दिनांक 05.11.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 19.07.2024 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते हैं।


उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

-: आदेश :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 19.07.2024 अनुसार डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बुटेलाव, पटवार हल्का मेव, भू0अ0नि0 क्षेत्र खारीया नीव तहसील सोजत के खसरा नम्बर 344, 345, 358, 621, 627 कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.1700 हैक्टर किस्म बा0अ0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

01 ग्राम बुटेलाव में स्थित कृषि भूमि का विभाजन:-

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	गणकी देवी पत्नि गोबरराम, दिनेश, रमेश, राकेश पिसरान गोबरराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	345	0.62	B I	
		627	0.40	B II	
		621	0.38	B II	
		03	1.40	—	—
2.	मोहनलाल पुत्र कालूराम कौम कुम्हार सा.देह खातेदार	344	0.86	B I	
		627	0.40	B II	
		621	0.47	B II	
		03	1.73	—	—
3.	माधुराम पुत्र गोबरराम कौम कुम्हार सा.देह खातेदार	345 / 1	0.32	B I	
		01	0.32	—	—
4.	पारसराम पुत्र कालूराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	358	1.12	B I	
		627	0.40	B II	
		621	0.20	B II	
		3	1.72	—	—

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो



यह निर्णय आज दिनांक 15/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

डिक्री बमुकद्दमें इत्तदाई

(ओ020 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गणकी पत्नी गोबरराम		1. माधुराम पुत्र गोबरराम जाति कुम्हार निवासी बुटेलाव तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।
2. दिनेश कुमार		2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान
3. रामेश		
4. राकेश पिसरान गोबरराम		
5. पारसमल		
6. मोहनलाल पिसरान कालूराम जातिगण कुम्हार निवासीगण बुटेलाव तहसील सोजत जिला पाली राज0		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद:- 21/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता वादी तथा श्री कैलाश दवे, तहसीलदार सोजत प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बुटेलाव, पटवार हल्का मेव, भू0अ0नि0 क्षेत्र खारीया नींव तहसील सोजत के खसरा नम्बर 344, 345, 358, 621, 627 कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.1700 हैक्टर किस्म बा0अ0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

01 ग्राम बुटेलाव में स्थित कृषि भूमि का विभाजन:-

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	गणकी देवी पत्नि गोबरराम, दिनेश, रमेश, राकेश पिसरान गोबरराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	345	0.62	B I	
		627	0.40	B II	
		621	0.38	B II	
		03	1.40	—	—
2.	मोहनलाल पुत्र कालूराम कौम कुम्हार सा.देह खातेदार	344	0.86	B I	
		627	0.40	B II	
		621	0.47	B II	
		03	1.73	—	—
3.	माधुराम पुत्र गोबरराम कौम कुम्हार सा.देह खातेदार	345/1	0.32	B I	
		01	0.32	—	—
	पारसराम पुत्र कालूराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	358	1.12	B I	
		627	0.40	B II	
		621	0.20	B II	
		03	1.72	—	—

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

से जरिये रखाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नवशा की प्रति तहशीलदार सोजत को पालना हेतु तहशीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान - मुबलिया - बाबत -

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

वशियत मेरे दरतखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15/11/2025 को जारी



(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधीकारी, सोजत
सोजत (राज.)

मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफरिफ	शून्य	शून्य
मतफरिफ	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधीकारी,
सोजत (राज.)